

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

पत्रांक : 2332/14-1 रामपुर, दिनांक 24 मई 2017

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र उ0प्र0,
मुरादाबाद।

- विषय :- जनपद रामपुर में मै0 इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, बरेली द्वारा रामपुर-केमरी मार्ग (ओ0डी0आर0 नं0-20), किमी0 13, चैनेज 13.352 की बांयी पटरी पर खसरा/गाटा सं0 750, ग्राम जनुनागर, तहसील मिलक में स्थापित किये जा रहे पेट्रोल/डीजल पम्प हेतु सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य में प्रभावित 0.0591 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
- संदर्भ - मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 2359/रामपुर/25456/2017 दिनांक 1805.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 29 पर प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल 0.059068 है0 अर्थात् 0.0591 है0 अंकित किया गया है, जिसके आधार राजस्व कम न होकर बढ़ रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार राजकीय क्षति नहीं है। अतः भविष्य में प्रस्ताव में वन भूमि का क्षेत्रफल पूर्ण रूप से अंकित जायेगा।

भवदीय

(गजेन्द्र सिंह)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।